हिमाचल प्रदेश सरकार,
श्रम एंव रोजगार विभाग

कौशल विकास भत्ता योजना, 2013

निदेशालय श्रम एंव रोजगार विभाग,
न्यू हिमरस भवन,हिमलैण्ड,
शिमला-171001

विषय सूची

क्रमांक	विषय
1.	कौशल विकास भत्ता योजना, 2013
2.	कौशल विकास भत्ता योजना के अर्न्तगत स्वीकार्य एंव अस्वीकार्य प्रशिक्षण
3.	कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 हेतु मान्य संस्थानों के उदाहरण

कौशल विकास भत्ता योजना, 2013

¼d) प्रस्तावनाः

बेरोज़गार युवाओं को कौशल विकास भत्ता प्रदान किए जाने की योजना का उल्लेख वित्त वर्ष 2013-2014 के माननीय मुख्य मन्त्री के बजट भाषण में किया गया, जिसका उद्‌देश्य शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को उनके कौशल विकास हेतु भत्ता प्रदान किया जाना है।

¼[k) उद्‌देश्य :

¼v) इस योजना का उद्‌देश्य पात्र शिक्षित हिमाचली बेरोज़गार युवाओं को उनके कौशल विकास हेतु भत्ता प्रदान करना है।

¼c) इसके फलस्वरूप युवा अपने कौशल का विकास कर पायेंगे जिसके माध्यम से वे अपनी रूचि के क्षेत्र में रोज़गार या स्वरोज़गार अर्जित करने हेतु समर्थ हो जायेंगे, इस योजना के अर्न्तगत अपनी पसंद के प्रशिक्षण संस्थान में जिस भी क्षेत्र में अपना कौशल विकास करना चाहते हैं, उसके चयन हेतु युवा स्वतंत्र होंगे।

¼x) योजना का ब्यौराः

1 लघु शीर्ष एंव आरंभः

¼d) यह योजना ''हिमाचल प्रदेश शिक्षित बेराज़गार व्यक्ति कौशल विकास भत्ता अदायगी योजना, 2013'' कहलाएगीं।

¼[k) यह योजना अधिसूचना जारी किए जानें की तिथि से लागू होगी।

¼x) भत्ता 16 से ले कर 36 वर्ष के नीचे आयुवर्ग के पात्र व्यक्तियों को देय होगा।

2 परिभाषाः

इस योजना में, संदर्भ में जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न होः

¼d) 'कौशल विकास प्रशिक्षण' का अर्थ है कोई भी ऐसा प्रशिक्षण जिसका लक्ष्य आवेदक का कौशल विकास करना तथा नियोजनियता को बढ़ाना हो।

¼[k) 'भत्ता' का अर्थ है इस योजना में परिभाषित कौशल विकास भत्ता ।

¼x) 'विभाग' का अर्थ है रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

¼?k) 'निदेशक' का अर्थ है निदेशक रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश, और ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसे सरकार द्वारा निदेशक की कोई या सभी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हों, भी इसमें शामिल है।

¼ड.) 'शिक्षित बेराज़गार आवेदक' का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ''मान्यता प्राप्त ''/ "Recognized" बोर्ड से कम से कम 8वीं पास हो, जिसका नाम आवेदन करने की तिथि को हिमाचल प्रदेश राज्य के किसी रोज़गार कार्यालय के सजीव पंजीका में दर्ज हो और जो इस योजना के अधीन कौशल विकास भत्ता पाप्त करने हेतु आवेदन करता है, जिसकी आयु आवेदन करने की तिथि को 16 वर्ष की हो परन्तु 36 वर्ष से कम हो और जो सजीव पंजीका में पर बना रहे। इस योजना के अर्न्तगत राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार व पलम्बर इत्यादि में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए भत्ते हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अपेक्षित नहीं होगी।

¼च) ‘रोज़गार कार्यालय’ का अर्थ है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित कोई भी रोज़गार कार्यालय ।

¼छ) ‘परिवार’ का अर्थ है संयुक्त परिवार के सभी सदस्य जो एक ही पूर्वज के वंशज हों ¼गोद लिए गए सदस्य भी शामिल) स्थाई रूप से जिनका पूजा-पाठ, रहन-सहन व खान-पान इकट्ठा हो, जो ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर/राशन कार्ड ¼शहरी क्षेत्र के लिए) में दर्शाया गया हो।

¼ज) ‘प्रपत्र’ का अर्थ है इस योजना के साथ संलग्न प्रपत्र ।

¼झ) ‘सरकार’ का अर्थ है हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग ।

¼ञ) ‘आय’ का अर्थ है परिवार की आय ।

¼ट) ‘सजीव पंजीका’ का अर्थ है हिमाचल प्रदेश सरकार के रोज़गार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों की वैध रोज़गार कार्ड अनुक्रमणिका ।

¼ठ) ‘8वीं’ का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने 8वीं कक्षा की परीक्षा या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्य कोई अन्य परीक्षा पास की हो।

¼ड) ‘रोज़गार कार्यालय का प्रभारी अधिकारी’ में वे अधिकारी/ पदस्थ शामिल होंगे जिन्हें इस योजना के अर्न्तगत विभाग द्वारा रोज़गार कार्यालय के प्रभारी अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हो।

¼ढ) ‘वर्ष’ का अर्थ है प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ हो कर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष ।

¼ण) ‘राज्य’ का अर्थ है हिमाचल प्रदेश राज्य ।

3 पात्र व्यक्तिः

इस योजना के दृष्टिगत वे सभी शिक्षित बेरोज़गार आवेदक कौशल विकास भत्ता के पात्र होंगे, जो निम्नलिखित मानदंड पूर्ण करते होः

¼क) वह बेरोज़गार होना चाहिए ¼अर्थात न सार्वजनिक, न निजी क्षेत्र और न ही स्वरोज़गार में हो) और हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए।

¼ख) उसने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/ विश्वविद्यालय/संस्था से न्यूनतम 8वीं कक्षा उर्त्तीण की हो। यदि आवेदक राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार या पलम्बर इत्यादि में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है तो इस योजना के अधीन भत्ते की लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अपेक्षित नहीं होगी।

¼ग) आवेदन करने की तिथि को आवेदक हिमाचल प्रदेश में किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।

¼?k) आवेदन करने की तिथि से ठीक पूर्व के वित्त वर्ष में सभी स्त्रोतों से आवेदक की पारिवारिक आय रू0 2.00 लाख ¼दो लाख) से कम होनी चाहिए, इसमें उसके पति/पत्नि की आय भी शामिल है।

¼ड.) आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 16 वर्ष से अधिक और 36 वर्ष से कम होनी चाहिए।

¼च) वह स्वरोज़गार में न हो।

(छ) मनरेगा (MNREGA) के तहत रोज़गार को इस योजना के अधीन रोज़गार की श्रेणी में नही गिना जाएगा।

(ज) वह सरकार का बरखास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

(झ) वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।

(ञ) वह एक कौशल विकास प्रशिक्षण में भर्ती हुआ होना चाहिए।

4 व्यक्ति जो पात्र न होः

इस योजना के अर्न्तगत निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति कौशल विकास भत्ते के लिए पात्र नही होगेंः

(क) राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों तथा अर्ध-सरकारी संस्थानों के वे कर्मचारी भी जिन्हे नौकरी से बरखास्त किया गया हो, तथा वे व्यक्ति जिन्हे 48 घण्टे या इससे अधिक अवधि के कारावास की सजा हुई हो।

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसकी सभी स्रोतों से पारिवारिक आय आवेदन करने की तिथि से पूर्व ठीक एक वर्ष के दौरान तथा जिस अवधी के लिए कौशल भत्ते हेतु दावा किया गया हो, के दौरान रू0 2.00 लाख (दो लाख रूपये) या उससे अधिक हो।

(ग) ऐसा व्यक्ति जो स्थाई/वास्तविक हिमाचली न हो।

(घ) ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 16 वर्ष से कम और 36 वर्ष पूर्ण हो।

(ड.) कोई भी व्यक्ति जो खण्ड 3 में उल्लेखित मानदण्डों को पूरा न करता हो।

5 कौशल विकास भत्ते की दरः

प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार आवेदक को आयु व शैक्षणिक योग्यता की जानकारी हेतु 8वीं/दसवीं कक्षा उर्तीण करने सम्बन्धी अंक पत्र/ प्रमाण पत्र की अनुप्रमाणित प्रतियां तथा प्रपत्र 'ग' अनुसार शपथ-पत्र यथासमय प्रस्तुत करने और पात्रता मानदंडों को पूर्ण करने की शर्त पर अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि तक के लिए निम्नलिखित दरों पर भत्ता देय होगाः

(क) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति, जिनकी कम से कम 50 प्रतिशत स्थाई विकलांगता रोज़गार कार्यालय के अभिलख (एक्स-1) में उल्लेखित हो, के लिए रू0 1500/- (रू0 एक हजार पांच सौ) प्रतिमाह की दर से।

(ख) सभी अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को रू0 1000/-(एक हजार रूप्ये मात्र) प्रतिमाह की दर से।

6 भत्ते के लिए आवेदनः

(क) शिक्षित बेरोजगार आवेदक, भत्ता प्रदान किए जाने हेतु पात्र हाने की स्थिति में, प्रपत्र 'क' में निर्धारित दस्तावेजों सहित अपना आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश के उस रोज़गार कार्यालय में जहां उसका नाम पंजीकृत हो या जिसके कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो, प्रस्तुत कर सकता है।

(ख) विधिवत रूप से पूर्ण आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश में उस रोज़गार कार्यालय, जहां पर आवेदक का नाम पंजीकृत हो या प्रदेश में उस रोज़गार कार्यालय, जिसके कार्यक्षेत्र

के अर्न्तगत प्रशिक्षण ले रहा हो, डाक द्वारा या प्रपत्र 'ख' अनुसार रसीद लेकर कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।

(ग) भत्ते के प्रत्येक दावेदार द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'क' पर दावा दायर करने के उपरान्त अनुवर्ती मार्च मास में, उस रोजगार कार्यालय में प्रपत्र 'ग' के अनुसार शपथ-पत्र देना होगा, जहां पर उसका नाम पंजीकृत हो।

7 आवेदन पत्रों का प्रकमः

(क) खण्ड 7 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्रों की रोज़गार कार्यालय द्वारा विधिवत जांच कर 45 दिनों के भीतर भत्ते की स्वीकार्यता बारे निर्णय लेना होगा, दावे को अस्वीकार्य पाए जाने पर, प्रपत्र 'घ' के अनुसार उपयुक्त आदेश जारी करके आवेदक को सूचित करना होगा।

(ख) उपनियम 'क' के अधीन सूचित निर्णय से आवेदक यदि संतुष्ट न हो तो वह निदेशक जिसका निर्णय अंतिम होगा, को अपील कर सकता है।

8 भत्ता स्वीकृत करने की शक्तियांः

भत्ता स्वीकृत करने की शक्तियां संबंधित क्षेत्रीय /जिला रोज़गार कार्यालय के प्रभारी अधिकारी में निहित होगी, जो इस योजना के प्रयोजन से आहरण एंव सवितरण अधिकारी का दायित्व भी निभाएगा।

(क) भत्ते को रोकना अथवा वसूली : भत्ते की स्वीकृति करने हेतु अधिकृत अधिकारीः

(1) किसी भी लाभार्थी को भत्ते की अदायगी पर रोक लगा सकता है यदि उन परिस्थितियों में किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण भत्ता देय न हो जिनके तहत स्वीकार किया गया था।

(11) किसी भी चरण पर यदि ऐसा पाया जाता है कि भत्ता प्रारम्भ में ही स्वीकार्य नहीं था और इसे भूल से या झूठी सूचना के आधार पर या किसी शर्त जिसके आधार पर इसे स्वीकृत किया जाना था, की उपेक्षा में स्वीकृत किया गया है, भत्ते की अदायगी को वापिस ले सकता अथवा रोक सकता है। भत्ते की पहले भुगतान की जा चुकी राशि को भी, दीवानी अथवा फौजदारी जो भी स्थिति हो, की कार्यावाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वसूली की जा सकती है।

(ख) लाभार्थी की मृत्यू हो जाने की स्थिति में भत्ते की अदायगी बन्द हो जायेगी, किसी अदायगी को प्राप्त करने से पूर्व ही यदि प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी वितरित न की गई राशि सरकार को चली जायेगी।

9 भत्ते की पुनः बहालीः

सजीव पंजीका से यदि लाभार्थी का नाम हटा दिए जाने के कारण भत्ते की अदायगी रोक दी गई है, परन्तु विभागीय हिदायतों के अनुसार उसके अनुकम कार्ड को, वरीयता प्रभावित किए बिना रोजगार कार्यालय के सजीव पंजीका पर लाया जाए तो संबंधित क्षेत्रीय/ जिला राजेगार अधिकारी द्वारा भत्ते की रोकी गई अदायगी को मूल लाभार्थी के पक्ष में पुनः बहाल कर सकता है।

10 भत्ते भेजनाः

लाभार्थी को भत्ते की राशि सरकारी खर्च पर प्रतिमास आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/ई0सी0एस0 द्वारा बैकों के माध्यम से उसके खाते में जमा की जायेगी, जैसे कि आवेदन प्रपत्र में भी उल्लेख किया गया है।

11 लेखा प्रकियाः

इस योजना के अधीन देय भत्ते के सम्बन्ध में निम्नलिखित लेखा प्रकिया अपनाई जाएगीः

(क) प्रपत्र 'क' पर प्राप्त नए आवेदन को प्रत्येक रोज़गार कार्यालय में विशेषतया इस प्रायेजन से तैयार किए गए पावती रजिस्टर (प्रपत्र-ड.)में दर्ज किया जायेगा। भविष्य में समस्त पत्राचार किए जाने के प्रयोजन से रोज़गार कार्यालय द्वारा प्रत्येक आवेदक को प्रपत्र 'ख' पर एक रसीद जारी की जायेगी जिसमें उसके आवेदन की पावती संख्या अंकित होगी।

(ख) भत्ता आवेदन (यदि पात्र हो) करने के मास से आरम्भ हो कर वित्त वर्ष के मार्च मास तक देय होगा, और उसके बाद उस वर्ष के मार्च मास मे या जब आवेदक अपात्र हो जाए, जो भी पहले हो, नये शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा।

(ग) आहरण एंव सवितरण अधिकारी आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/ ई0सी0एस0 हस्ताक्षरित करेगा और कार्यालय रोकड़ बही पर इन्द्राज को हस्ताक्षरित करेगा।

12 भत्ता न्यायालय के माध्यम से कार्यान्वित नहीं होगाः

इस योजना के अर्न्तगत भत्ता न्यायालय के माध्यम से कार्यान्वित नहीं होगा।

13 पर्यवेक्षणः

इस योजना के अधीन देय भत्ते के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण एंव नियंत्रण की शक्तियां निदेशक मे निहित होगी और वह इस योजना के सुचारु रुप से संचालन हेतु समय-समय पर दिशा निर्देश जारी कर सकेगा।

14 योजना में संशोधन करने की शक्तियां :

इस योजना में संशोधन करने की शक्तियां सरकार में निहित होगी।

15 लाभार्थियों का ब्यौरा प्रदर्शित करनाः

जनता की सूचना के प्रयोजन से रोज़गार कार्यालय के सूचना पट, विभागीय वैबसाईट तथा अन्य उपयुक्त स्थल पर लाभार्थियों का ब्यौरा प्रदर्शित किया जा सकता है।

****

i=i & *d*

कार्यालय प्रयोग हेतूः
आवेदन पत्र कमांकः ----- दिनांक-------

ikliksV vkdkj dk
gky gh dk
vuiekf.kr QksVks

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग।

कौशल विकास भत्ते हेतू आवेदन पत्रः

¼1)आवेदक का नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

¼2)पिता का नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

¼3) माता का नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

¼4) पति/पत्नी का नाम ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

¼5)लिंग पुरुष ☐ महिला ☐

¼6)जन्म तिथि दि न ☐ मा स ☐ व र्ष व र्ष

¼7)आवेदन तिथि पर आयु : ☐☐

¼8) धर्म : हिन्दु ☐ मुस्लिम ☐ सिक्ख ☐ इसाई ☐ बौद्ध ☐ जैन ☐

¼9) वर्गः सामान्य ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनु0जाति ☐ अनु0जन जाति ☐

¼10) उप वर्गः आईआरडीपी ☐ बीपीएल ☐ अन्तोदय ☐ अपंग ☐ भू0सैनिक ☐

¼11)स्थाई पताः ....

....

तहसील ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ जिला ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

पिनकोड ☐☐☐☐☐☐

¼12) पत्राचार हेतू पताः ....

....

तहसील ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ जिला ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐ पिनकोड ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

मोबाईल नम्बर ईमेल ....

¼13) रोज़गार कार्यालय का नाम जहां पंजीकृत हैः

¼14)पंजीकरण संख्या ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ¼15)पंजीकरणकी तिथि दि न ☐ मा स ☐ व र्ष ☐☐

¼16) शैक्षणिक योग्यता 8 वीं/10वींः

कम सं0	उतीर्ण परीक्षा का नाम	उतीर्ण करने का वर्श	बोर्ड/वि"वविघालय/संस्थान
1.	8 वीं/10वीं		

¼17) आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आयः ....

¼भत्ते हेतू आवेदन की तिथि के 6 माह के भीतर कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति)

¼18)आधार न0 ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ यदि आधार न0 जारी नहीं किया गया हो तो

आधार आवेदन पत्र कमांक ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

¼19) आवेदक के बैंक खाते का विवरण ¼अनिवार्य) बैंक शाखा द्वारा सत्यापित

हस्ताक्षर ....

बैंक का नाम [ ]

पदनाम ....

शाखा ....

मोहर

खाता संख्या [ ]

आई एफ एस कोड¼अनिवार्य) [ ]

मैं एतद द्वारा अनुप्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। कौशल विकास भत्ता की पात्रता हेतु शर्तें मैंने पढ़ ली हैं, जो मुझे स्वीकार्य है। मुझे इस बात का बोध है कि उपरोक्त दी गई सूचना के सही न पाए जाने की स्थिति में, मेरे विरूद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।

स्थानः आवेदक के हस्ताक्षर/अंगुठा निशान

दिनांकः नाम सहित

टिप्पणीः -

1 कृप्या सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र के सभी खाने भर दिए गए है।
2 रोज़गार पंजीकरण कार्ड ¼,DI&10)की सत्यापित प्रति संलग्न है।
3 कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी वैध पारिवारिक आय प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न है ¼जो भत्ते हेतु आवेदन की तिथि से 6 माह पूर्व जारी न की गई हो), इसके साथ-साथ योजना के अधीन सक्षम प्राधीकारी द्वारा जारी किए जाने वाले आय प्रमाणपत्र में इस तथ्य का विशेष रूप से उल्लेख किया जायेगा कि आवेदक सरकार, इसकी इकाईयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों, निकायों आदि से नियोजित नहीं है।
4 विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र ¼प्रपत्र 'ग' संलग्न) अनुसार आवेदक द्वारा अपने बेरोज़गार होने का शपथ -पत्र ।
5 स्थाई हिमाचली प्रमाण-पत्र अनुप्रमाणित प्रति संलग्न है।
6 कौशल विकास प्रशिक्षण में भर्ती या दाखिला प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न है।
7 बैंक विवरण संबंधित बैंक शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर तथा बैंक की मोहर सहित अनुप्रमाणित होने चाहिए।
8 बैंक शाखा का आई0एफ0कोड का भरा जाना आवश्यक/अनिवार्य है।
9 आयु तथा शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी के प्रयोजन से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 8वीं/10वीं/आयु प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न है। योजना के अधीन भत्ते की स्वीकार्यता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यदि आवेदक राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार या पलम्बर आदि, में प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहता हों।

‘ख’

<u>रसीद</u>

रसीद नं0 ¼आवेदन संख्या)......... दिनांक...........श्री/श्रीमति/कु0....... ....पुत्र, पुत्री, पत्नि श्री.............................से निम्नलिखित मूल/सत्यापित दस्तावेजों सहित, कौशल विकास भत्ता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है।

1. आवेदक प्रपत्र मूल रूप में।
2. रोज़गार पंजीकरण-कार्ड ¼,Dl&10)की अनुप्रमाणित प्रति।
3. कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी पारिवारिक आय प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।
4. कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी वास्तविक हिमाचली प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।
5. प्रपत्र ‘ग’ अनुसार शपथ-पत्र।
6. भर्ती <u>प्रमाणपत्र/दाखिला</u> प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।
7. आयु तथा शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी के प्रयोजन से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी 8वीं/10वीं/आयु प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपियां। योजना के अधीन भत्ते की स्वीकार्यता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं होगी यदि आवेदक राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार या पलम्बर आदि, में प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहता हों।

रोजगार अधिकारी/पदपदस्थ के हस्ताक्षर
नाम..
पदनाम..
दिनांक..

प्रपत्र 'ग'

शपथ-पत्र

मैं........................पुत्र,पुत्री,पत्नि श्री..निवासी.....................................
................आयु...सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान तथा घोषित करता है किः

1. मैं सरकार/इसकी ईकाईयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निकायों/बोर्डो/निगमों इत्यादि के अधीन नियोजित नहीं हूं।
2. मैं न तो निजी क्षेत्र और न ही स्वरोज़गार में नियोजित हूँ।
3. मैं हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी हूँ।
4. मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त.....................................बोर्ड/विश्वविघालय/संस्था से ....की परीक्षा उत्तीर्ण की है (राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार या पलम्बर आदि, में प्रशिक्षण ग्रहण करने के इच्छुक आवेदकों के शपथ-पत्र में क्रमांक 4 शामिल नहीं किया जायेगा)।
5. मैं रोजगार कार्यालय......................................में....................पंजीकृत क्रमांक के तहत दिनांक...से पंजीकृत हूँ और आज भी मेरा नाम वहॉ पर पंजीकृत है।
6. सभी स्रोतो से मेरी वार्षिक पारिवारिक आय, पति/पत्नि की आय सहित, रू0 2.00 लाख (दो लाख रूप्ये) से कम है।
7. मैं 16 से 36 वर्ष से कम के आयु वर्ग में आता हूँ।
8. मैं पदच्युत सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ।
9. मुझे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिसके फलस्वरूप 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा होती है।
10. मैंने किसी अन्य रोजगार कार्यालय से कौशल विकास भत्ते का दावा नहीं किया है।
11. मैंने समस्त पात्रता शर्तो को पढ़ लिया है और मैं उन्हे पूरा करता हूँ। कौशल विकास भत्ता हेतु आवेदक पत्र में मेरे द्वारा दी गई सूचना सही हैं।
12. कौशल विकास भत्ता प्राप्त करने सम्बन्धी पात्रता मानदण्डों में किसी प्रकार के परिवर्तन, (जैसे-आय में वृद्धि, रोज़गार स्थिति में परिवर्तन, 36 वर्ष की आयु प्राप्त करना आदि) जिसके फलस्वरूपम मैं अपात्र हो जाता हूँ, के बारे में 7 दिनों के भीतर मैं संबंधित रोज़गार कार्यालय तथा बैंक शाखा को सूचित करूगा। इसे साथ-साथ मैं यह भी वचन देता हूँ कि जिस अवधि के लिए मै अपात्र पाया जाता हू, के लिए प्राप्त पूरी राशि को सरकार के निर्णय अनुसार ब्याज सहित वापिस लौटाऊंगा।
13. अगले वित्त वर्ष (अप्रैल से आरंभ) के लिए कौशल विकास भत्ता हेतु अपनी पात्रता की पुष्टि करने के प्रयोजन से मैं मार्च मास में शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ, ऐसा न करने पर उस वर्ष के अप्रैल मास से मेरा भत्ता बन्द कर दिया जायेगा।
14. मैं.............................प्रशिक्षण हेतु...................संस्थान में......................पर भर्ती हूँ, जिस की अवधि................................है।
15. मेरे इस शपथ-पत्र की उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी अनुसार सत्य है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं उपरोक्त अभिसाक्षी एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान एंव घोषित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 15 तक के दिए गए सभी तथ्य मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया हैं,

आज.............................(तिथि व वर्ष) को...................मे सत्यापित

अभिसाक्षी

प्रपत्र 'ग'

शपथ-पत्र (अव्यस्क की स्थिति में)

मैं.......... पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री-------निवासी -----आयु ---सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान तथा घोषित करता/करती हूं कि :

1 मेरा पुत्र/पुत्री/आश्रित, कु0/श्री-------------सरकार/इसकी इकाईयों, सार्वजनिक क्षेत्र उप कमों/निकायों/बोर्ड/निगमों इत्यादि के अधीन नियोजित नहीं है।

2 मेरा पुत्र/ पुत्री/ आश्रित न तो निज़ी क्षेत्र में नियोजित है और न ही स्व रोज़गार में है।

3 मेरा पुत्र/ पुत्री/ आश्रित हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी है।

4 मेरा पुत्र/ पुत्री/ आश्रित ने हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त-बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था से...........की परीक्षा उर्तीण की है ।(राजगिरी, बढ़ई, लुहार या पलम्बर आदि में प्रशिक्षण ग्रहण करने के इच्छुक आवेदकों के शपथ पत्र में कमांक 4 शामिल नहीं किया जायेगा)

5 मेरा पुत्र/ पुत्री/ आश्रित रोज़गार कार्यालय...........में..........पंजीकरण कमांक के तहत दिनांक...........से पंजीकृत है और आज भी उसका नाम वहां पर पंजीकृत है।

6 सभी स्रोतों से मेरी वार्षिक पारिवारिक आय, पति/पत्नि की आय सहित रूप्ये 2,00,000/- (दो लाख) से कम है।

7 मेरा पुत्र/ पुत्री/आश्रित 16 से 36 वर्ष से कम आयु वर्ग में आता/आती है।

8 मेरा पुत्र/ पुत्री/ आश्रित पदच्युत सरकारी कर्मचारी नहीं है ।

9 मेरा पुत्र/ पुत्री/ आश्रित को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिससे 48 घण्टे या उससे अधिक के कारावास की सजा होती हो।

10 मेरा पुत्र/ पुत्री/ आश्रित द्वारा किसी अन्य रोज़गार कार्यालय में कौशल भत्ते हेतू दावा नहीं किया है ।

11 सभी पात्रता शर्तो को मैने पढ़ लिया है और मेरा पुत्र/ पुत्री/ आश्रित इन्हें पूरा करता/करती है । कौशल विकास भत्ता हेतू आवेदन पत्र में मेरे पुत्र/ पुत्री/ आश्रित द्वारा दी गई सूचना सही है।

12 कौशल विकास भत्ता प्राप्त करने हेतू पात्रता मानदण्डों में किसी प्रकार के परिवर्तन (जैसे आय में वृद्वि, रोज़गार स्थिति में परिवर्तन, 36 वर्ष की आयु पूर्ण होना आदि) जिससे मेरा पुत्र/ पुत्री/ आश्रित अपात्र हो जायें, उसकी सूचना मैं सात दिनों के भीतर सम्बन्धित रोज़गार कार्यालय व बैंक शाखा को दूंगा/दूंगी । इसके साथ-साथ मैं यह भी वचन देता/देती हूं कि जिस अवधि के लिए मेरा पुत्र/ पुत्री/ आश्रित अपात्र पाया जाये उसके दौरान मेरे पुत्र/ पुत्री/ आश्रित द्वारा प्राप्त पूरी राशि को मैं सरकारी आदेशों के अनुसार ब्याज सहित वापिस लौटा दूंगा /दूंगी ।

13 अगले वित्त वर्ष (अप्रैल से आरम्भ) के लिए कौशल विकास भत्ता हेतू अपने पुत्र/ पुत्री/ आश्रित की पात्रता की पुष्टि हेतू मैं मार्च मास में शपथ पत्र प्रस्तूत करने का वचन देता/देती हूं ऐसा न होने पर मेरे पुत्र/पुत्री/आश्रित का कौशल विकास भत्ता उस वर्ष के अप्रैल मास से बन्द कर दिया जायेगा।

14 मेरा पुत्र/ पुत्री/ आश्रित------प्रशिक्षण हेतू -----संस्थान में -----(स्थान)पर भर्ती है जिसकी अवधि-----है।

15 मेरे इस शपथ पत्र में दी गई उपरोक्त सूचना मेरी सर्वोतम जानकारी के अनुसार सत्य है ।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं उपरोक्त अभिसाक्षी एतद् द्वारा सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान एवं घोषित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 15 तक दिये गए सभी तथ्य मेरी सर्वोतम जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

आज ....(तिथि व वर्ष) को ....में सत्यापित

अभिसाक्षी

प्रपत्र 'घ'

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एंव रोजगार विभाग

कार्यालय......................................
दिनांक...

सेवा में

....
....
.... (पते के लिए)
आवेदन कमांक................................

विषयः कौशल विकास भत्ता के लिए अपात्रता सम्बन्धी।

महोदया/महोदय,

कौशल विकास भत्ता हेतु आपके आवेदन (कमांक ऊपर लिखित)के सर्न्दभ मे, आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की संलग्न दस्तावेजों सहित जॉच-पड़ताल किए जाने के उपरान्त निम्नलिखित कारणों से कौशल विकास भत्ता हेतु आपका दावा एतद द्वारा अस्वीकृत किया जाता है।

1. ....
2. ....(कृपया आवेदन को अस्वीकृत किए जाने के कारणों का उल्लेख करें)

भवदीय,

रोजगार कार्यालय अधिकारी/पदस्थके हस्ताक्षर
नाम......................................
पदनाम.................................
तिथि....................................

प्रपत्र 'ड.'

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एंव रोजगार विभाग
कार्यालय.........................

क्रमांक	आवेदन संख्याः	आवेदक का नाम व पता,पिन कोड तथा दूरभाष नं0 व मोबाईल नं0 सहित	रोजगार कार्यालय पंजीकरण क्रमांक	आवेदक का आधार न0 (नं0 न होने पर आवेदन पत्र नं0)	बचत बैंक खाता नं0 बैंक के नाम व शाखा के पते सहित	बैंक शाखा का आई0एफ0एस0 कोड	यदि दावा स्वीकृत है तो, भत्ता व प्रशिक्षण आरंभ होने का महीना व वर्ष (एन0सी0ओ0 कोड सहित)	भत्ता वितरण का आखिरी महिना	यदि दावा अस्वीकृत है तो आवेदक को सूचित करने की तिथि (प्रपत्र 'घ' के अनुसार)

हस्ताक्षर

रोजगार कार्यालय अधिकारी/पदस्थ
नाम...
पदनाम.....................................
तिथि.......................................

कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के अर्न्तगत स्वीकार्य एंव अस्वीकार्य प्रशिक्षणः

*कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान अथवा संगठन द्वारा दिया जाने वाला ऐसा प्रशिक्षण है जिससे निपुणता अर्जित होती है, और फलस्वरूप रोजगार के क्षेत्र में नियोजनीयता बढ़ती है। कौशल प्रशिक्षण साधारणतया ¼**क) व्यवसायी शिक्षा** ¼[k) **तकनीकी प्रशिक्षण तथा** ¼x) **संस्थानों/संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाला अन्य कौशल प्रशिक्षण, जिसके एवज में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्राप्त होता है।***

*कौशल विकास भत्ता योजना,2013 के प्रयोजन हेतु पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्थानों/ संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाले डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रशिक्षण तथा **विश्वविद्यालयों द्वारा मात्र सूचना प्रौद्योगिकी में प्रदान किया जाने वाले डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र प्रशिक्षण ही वैध हैं** ¼विश्वविद्यालयों के अन्य सभी प्रशिक्षण वर्जनीय होंगे)। प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान/संगठन किसी राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत/मान्यता प्राप्त होने चाहिए या इस प्रयोजन से अधिसूचना संख्याः श्रम ¼एफ) 1-2/2013 दिनांक 13-12-2013 द्वारा गठित जिला समितियों द्वारा अपनी सूची में सम्मिलित किए गए हों। राज्य/ केन्द्र सरकार मंत्रालयों/विभागों/बोर्डो/निगमों द्वारा दिये गये सभी प्रशिक्षण वैध हैं।*

केवल वही लाभार्थी कौशल विकास भत्ते हेतु पात्र होंगे जो एकमात्र कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो। वे विद्यार्थी जो डिग्री/ अध्यापन/अन्य उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण के साथ-साथ कौशल विकास प्रशिक्षण में भी दाखिला लिए हुए हों, पात्र नहीं हैं।

कौशल विकास प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल हैः

1 ***सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त क्षेत्र में प्रशिक्षणः***

*¼क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना के ढांचे के अर्न्तगत संस्थानों/ संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण, जैसे राज्य व्यवसायी प्रशिक्षण परिषद ¼एस0सी0वी0टी0/SCVT) तथा राष्ट्रीय व्यवसायी प्रशिक्षण परिषद ¼एन0सी0वी0टी0/NCVT)। **सरकारी एंव निजी क्षेत्र के सभी औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान ¼आई0टी0आई0/ITI)** एस0सी0वी0टी0/एन0सी0वी0टी0 के अधीन आते है तथा उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण इस योजना के अर्न्तगत मान्य है।*

*¼ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा ढांचे के अर्न्तगत, जैसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ¼ए0आई0सी0टी0ई0/AICTE),संस्थानों/ संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण। **सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी पॉलिटैकनीक संस्थान** जो सम्बन्धित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बंद्ध है, उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण इस योजना के अर्न्तगत मान्य है।*

*¼x) **राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता ढांचे (NVEQF) के अर्न्तगत ¼विश्वविद्यालयों को छोड़ कर) संस्थानों/ संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाला** <u>**प्रमाणपत्र/डिप्लोमा**</u> **प्रशिक्षण।***

¼?k) ***व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता ¼वी0टी0पी0/VTP) के रूप में पंजीकृत ऐसे संस्थानों/संगठनों द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण***, जो महानिदेशक, रोजगार एंव प्रशिक्षण ¼डी0जी0ई0एण्ड0टी0/DG&ET) भारत सरकार ¼जी0ओ0आई0) **द्वारा** कौशल विकास अभिक्रम योजना ¼एस0डी0आई0एस0/SDIS) के अधीन तैयार किए गए आधुनिक नियोजनीय कौशल ¼एम0ई0एस0/MES) के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करते हो। डीजीईटी द्वारा 23-10-2013 तक प्रशिक्षण के लिए 633 मॉडयूल्ज तैयार किए गए है जिनका वी0टी0पी0 द्वारा अनुपालन किया जायेगा। अतः ऐसे सभी प्रशिक्षण इस योजना के तहत मान्य हैं। आधुनिक नियोजनीय कौशल ¼एम0ई0एस0) का ब्यौरा dget.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

¼ ड.) ***राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन एंव खान-पान प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण*** ¼जैसे-आवास संचालन एंव प्रबन्धन में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा, आहार विज्ञान एंव अस्पताल भोजन सेवा मे स्नात्कोत्तर डिप्लोमा, भोजन उत्पादन में काफ्टमैनशीप कोर्स, भोजन एंव पेय सेवाओं में काफ्टमैनशीप कोर्स, होटल एंव भोजन प्रबन्धन में प्रमाणपत्र कोर्स इत्यादि।

¼च) ***सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण इस योजना के अधीन मान्य है***, उदाहरणार्थ

Û ***उद्योग विभाग आदि द्वारा आयोजित प्रशिक्षण*** ¼जैसे कि लम्बी अवधि उत्पाद आधारित उद्यम विकास कार्यकम ¼ई0डी0पी0/EDP), पर्यटन विभाग/ मंत्रालय, भारत सरकार ¼जैसे त्रैमासिक व्यक्तित्व विकास एंव अंग्रेजी व जर्मन भाषा कोर्स, भोजन उत्पादन कोर्स, प्रारंभिक भोजन एंव पेय सेवाएं ¼कारिन्दा/स्टीवर्ड), गृह-व्यवस्था, स्वागत/अग्र कार्यालय सहायक, बेकरी एंव मिष्ठान्न इत्यादि)।

Û ***स्वास्थ्य एंव चिकित्सीय शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण*** ¼दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, दंत यान्त्रिक/मैकेनिक, प्रयोगशाला तकनीशियन, एक्स-रे तकनीशियन, दृष्टि मापक-विद, शल्य-कक्ष तकनीशियन, भेषजविज्ञ/फार्मासिस्ट, उपचर्या-धात्रीविद्या, प्रसूति सम्बन्धी उपचर्या ¼ए0एन0एम0/ANM) इत्यादि में डिप्लोमा कोर्स, चिकित्सीय शिक्षा एंव अनुसंधान विभाग हि0 प्र0/अन्य राज्यों/केन्द्र सरकार द्वारा सम्बन्द्ध/मान्यता प्राप्त।

Û ***निगमों, जैसे हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण*** ¼जैसे कि ड्राईविंग प्रशिक्षण)।

Û ***हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एंव हथकर्घा निगम सीमित*** ¼ जैसे बुनाई ¼खड्डी आदि पर), बुनाई, ¼सलाईयों आदि से), थांका चित्रकला, काष्ठ उत्केदन, चम्बा रुमाल कढ़ाई तथा चम्बा व कॉगड़ा चित्रकला इत्यादि में प्रशिक्षण कोर्स) **हि0 प्र0 अनुसूचित जाति एंव जनजाति विकास निगम** ¼जैसे हथकर्घा खादी, वाहन चालाक,मोटर मिस्त्री/ऑटो स्कूटर मुरम्मत, जूते बनाने, इलैक्ट्रोनिक्स, पलम्बिग, बिजली मिस्त्री/मोटर बांधने,वैल्डिग/स्टील फैब्रीकेशन/लुहारगिरी, बढ़ईगिरी, फोम़ बनाना, श्रृंगार-व्यवसायी, बांस का कार्य, नाईगिरी, कटाई-सिलाई, कंम्पयूटर प्रशिक्षण इत्यादि में प्रशिक्षण कोर्स) इन परिस्थितियों में प्रशिक्षु द्वारा यदि इन संगठनों से वज़ीफा लिया जा रहा हो तो उसे कौशल विकास योजना के तहत मिलने वाला भत्ता या वज़ीफे में से किसी एक का चयन करने का विकल्प देना होगा।

Û ***जिला ग्रामीण विकास उपकमों** ¼डी0आर0डी0ए0/DRDA) **द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण** ¼जैसे कि कटाई एंव सिलाई) तथा **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों ¼आर0एस0ई0टी0आई0/RSETI), द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण** ¼जैसे-डेरी उद्योग, श्रृंगार प्रसाधन व्यवस्था, टी0वी0/डी0वी0डी0 तथा अन्य डिजिटल इलैक्ट्रोनिक जैसी घरेलू उपयोग की वस्तुओं की मुरम्मत एंव उनसे संबंधी सेवाएं)।*

Û ***ग्रामीण विकास मंत्रालय ¼एम0ओ0आर0डी0/MoRD) द्वारा मान्यता प्राप्त आजीविका योजना के अर्न्तगत परियोजना कार्यान्वयन ऐजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण। इसकी*** *वैबसाईट* aajeevika.gov.in *पर देखी जा सकती है!*

2. *कौशल विकास हेतु निम्नलिखित निजी संस्थानों/संगठनों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण भी मान्य है।*

¼क) *हिमाचल प्रदेश में आई0टी0/कम्पयूटर प्रशिक्षण हेतुः*

¼1) *निजी क्षेत्र के विख्यात संस्थान जैसे कि ¼क) राष्ट्रीय सूचना एंव प्रौद्योगिकी संस्थान ¼एन0आई0आई0टी0/*NIIT*) ¼ख) एप्टैक* (Aptech) *¼ग) जैटकिंग*(Jetking) *¼घ) ए0आई0एस0ई0सी0टी0* (AISECT) *¼ड.) हिन्दुस्तान कम्पयूटर्ज सीमित ¼एच0सी0एल0/*HCL*) ¼च) कम्पयूटर अनुरक्षण निगम सीमित ¼सी0एम0सी0एल0/*CMCL*) जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और इनके द्वारा प्रदान डिप्लोमा/प्रमाणपत्र निजी क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त है।*

उपरोक्त निजी संस्थानों के Ýचाईजी (Franchisees) *भी प्रशिक्षण देने के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उसका मूल्यांक एंव प्रमाणन उपरोक्त संस्थानों ¼मूल संगठन) द्वारा किया जाए।*

¼2) *कुच्छेक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के संस्थान मान्यता प्राप्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ सम्बंद्ध हैं और इन संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे कम्पयूटर प्रशिक्षण के डिप्लोमा/प्रमाणपत्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रों द्वारा मान्य है। सरकारी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ¼यू0जी0सी0) की बैबसाईट* (www.ugc.ac.in) *पर तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची* http://himachal.nic.in/perc *पर देखी जा सकती है।*

¼3) *सरकारी क्षेत्र के संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकस एंव सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ¼एन0आई0ई0एल0आई0टी0/*NIELIT*) तथा उन्नत संगणना विकास केन्द्र ¼सी0-डी0ए0सी0/*C-DAC*)द्वारा कम्पयूटर प्रशिक्षण में प्रदान डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये सूचना एंव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन संचालित सरकारी संगठन है।*

¼ख) *हिमाचल प्रदेश से बाहर आई0टी0/कम्पयूटर प्रशिक्षण के लिएः*

¼1) *जैसा कि उपरोक्त मद संख्याः ¼क) ¼1)में उल्लेख किया गया है । लेकिन उनकी Ýचाईजी*(Franchisee) *कौशल विकास योजना,* 2013 *के प्रयोजन से पात्र नहीं होगी।*

¼2) *कुच्छेक सरकारी तथा निजी क्षेत्र के संस्थान मान्यता प्राप्त विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ सम्बंद्ध हैं और इन संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे कम्पयूटर प्रशिक्षण के डिप्लोमा/प्रमाणपत्र सरकारी तथा निजी क्षेत्रों द्वारा मान्य है। सरकारी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ¼यू0जी0सी0) की बैबसाईट*

(www.ugc.ac.in) पर तथा निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विश्वविघालयों की सूची http://himachal.nic.in/perc पर देखी जा सकती है।

¼3) सरकारी क्षेत्र के संस्थानों, जैसे राष्ट्रीय इलैक्ट्रोनिकस एंव सूचना प्रौघोगिकी संस्थान ¼एन0आई0ई0एल0आई0टी0 NIELIT) तथा उन्नत संगणना विकास केन्द्र ¼सी0-डी0ए0सी0/C-DAC) द्वारा कम्पयूटर प्रशिक्षण में प्रदान डिप्लोमा/प्रमाणपत्र, सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है, क्योंकि ये सूचना एंव प्रौघोगिकी विभाग, भारत सरकार के नियन्त्रणाधीन संचालित सरकारी संगठन है।

¼3) सूचना एंव प्रौघोगिकी के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में अन्य

प्रशिक्षणः सूचना एंव प्रौघोगिकी के अलावा प्रशिक्षण के प्रयोजन से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या श्रम ¼एफ) 1-2/2013 दिनांक 13.12.2013 के माध्यम से उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्नलिखित जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया हैः -

1	उपायुक्त	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त उपायुक्त/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	उपाध्यक्ष
3	जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य सचिव
4	महाप्रबन्धक, जिला उघोग केन्द्र	सदस्य
5	प्ररियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	सदस्य
6	प्रधानाचार्य,पॉलीटैकनीक/ औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य

कौशल विकास भत्ता योजना के प्रयोजन से समिति को निजी क्षेत्र के संस्थानों/ संगठनों/गैर-सरकारी संस्थाओं को सूची में सम्मिलित करने/अनुमोदित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

समिति ऐसे प्रशिक्षण प्रदान करने वाले निजी क्षेत्र के संस्थानों/संगठनों/गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रत्यय दस्तावेजों का परीक्षण करेगी जिनके प्रशिक्षुओं को कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के अधीन पात्र माना जाना हो।

जिला समिति द्वारा संस्थानों/ संगठनों के चयन सूची मे शामिल करने हेतु निम्नलिखित मानक अपनाएं जायेंगेः

1. आधारभूत संरचना क्षमता-जैसे भवन/कमरों की संख्या/प्रयोगशालाएं/मशीनरी/प्रशिक्षण के लिए उपकरण इत्यादि की उपलब्धता।
2. अध्यापन निपुणता-जैसे शिक्षक वर्ग की योग्यता एंव अनुभव,शिक्षक वर्ग की संख्या इत्यादि।
3. दिए गए प्रशिक्षण की गुणवता जैसे विषय सूची, प्रशिक्षण की अवधि, क्या प्रमाणपत्र प्रशिक्षण की समाप्ति पर प्रदान किया गया है, इत्यादि।
4. क्या प्रशिक्षण राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद ¼एस0सी0वी0टी0), राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद ¼एन0सी0वी0टी0), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा

परिषद(ए0आई0सी0टी0ई0), राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता ढांचे (एन0वी0ई0क्यू0एफ0), तथा आधुनिक नियोजनीय कौशल (एम0ई0एस0), इत्यादि की रूपरेखा पर आधारित है।

5. क्या संस्थान/संगठन को प्रशिक्षण कोर्स चलाने हेतु राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा अधिस्वीकृत किया गया है।
6. संगठन का सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किए जाने सम्बन्धी अनुभव।
7. क्या सिखाया जा रहा कौशल किसी ख्याति प्राप्त/राष्ट्र स्तरीय संगठन द्वारा अनुप्रमाणित है, इत्यादि!

उपरोक्त मापदण्ड संकेत मात्र है, सम्पूर्ण नहीं। समिति द्वारा आवश्यक समझे गए अन्य मापदण्डों के आधार पर भी निजी क्षेत्र के संस्थानों/संगठनों के प्रत्यय-दस्तावेजों बारे जिला स्तरीय समिति स्वयं को संतुष्ट कर सकती है।

निम्नलिखित द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षण की दशा में उपरोक्त प्रकिया अपनानी आवश्यक नहीं होंगी। संस्थान/संगठन जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ढांचे जैसे एस0सी0वी0टी0, एन0सी0वी0टी0, ए0आई0सी0टी0ई0, एन0वी0ई0क्यु0एफ0 के अर्न्तगत प्राधिकृत हों, महा निदेशक, रोजगार एंव प्रशिक्षण (डी0जी0ई0एण्ड0टी0), भारत सरकार द्वारा प्रारम्भिक कौशल विकास योजना(एस0डी0आई0एस0),के तहत तैयार किए गए एम0ई0एस0 के अधीन व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम0ओ0आर0डी0) द्वारा मान्यता प्राप्त आजीविका योजना के तहत परियोजना कार्यान्वयन ऐजेंसियों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण।

4. सूचना प्रौधोगिकी के अलावा हिमाचल प्रदेश से बाहर प्रशिक्षणः

1 सरकारी संस्थानों/ सरकारी विभागों/बोर्डो/निगमों द्वारा प्रदान किया जाने वाला प्रशिक्षण।

2 एन0सी0वी0टी0/एस0सी0वी0टी0/ए0आई0सी0टी0ई0 मापदण्डों के अनुसार या सम्बन्धित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्डो के साथ सम्बन्ध निजी संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने चाला प्रशिक्षण ।

5. कौशल विकास भत्ता योजना के प्रयोजन से अस्वीकार्य प्रशिक्षण कोर्सः विश्वविघालयों में डिग्री कोर्स जैसी शिक्षा (चाहे पूर्णकालिक, अंशकालिक या पत्राचार पाठयकम के माध्यम से हो) जैसे बी0 ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0टैक, बी0ई0, एम0बी0बी0एस0, बी0ए0एम0एस0, बी0डी0एस0, बी0बी0ए0, एम0बी0ए0, एम0टी0ए0, सी0ए0, कंपनी सचिव, आई0सी0डब्ल्यू0ए0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एम0फिल, पी0एच0डी0 इत्यादि तथा अध्यापन कोर्स (जैसे-जे0बी0टी0,कला अध्यापक, बी0एड0 आदि)तथा व्यक्तियों/संगठनों के साथ अनौपचारिक प्रशिक्षुता, जैसे वकीलों/बार संस्थाओं के साथ लगने पर प्रशिक्षण

मान्य नहीं है, और अपंजीकृत व्यक्तियों/संगठनों, जिन्हें प्रशिक्षण कोर्स चलाने हेतु मान्यता प्राप्त नही है, के साथ किसी भी प्रकार की अनौपचारिक व्यवस्था योजना के अर्न्तगत मान्य नहीं है।

कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 हेतु वैध संस्थानों के उदाहरण अनुबन्ध-क पर है।

अनुबन्ध-'क'

कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 हेतु मान्य संस्थानों के उदाहरण

(1) सरकार एवं निजि क्षेत्र के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई)

(2) सरकार एवं निजी क्षेत्र के समस्त पॉलीटैक्निक

(3) सभी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (वी टी पी) जो तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ पंजीकृत हैं, तथा आधुनिक नियोजनीय कौशल (एम0ई0एस0) आधारित कौशल विकास प्रारम्भिक योजना के अन्तर्गत आते हैं (राजमिस्त्री, बढ़ई, लुहार तथा पलम्बिगं आदि में प्रशिक्षण सहित) निम्नलिखित सूचिबद्ध किए गए हैं:

क्रमांक	वी टी पी का नाम व पता	जिला	सम्पर्क सूत्र	
			फोन	ईमेल
1.	बट्ट आई टी सी, गांव व डाकघर खुशनगरी तहसील चुराह, जिला चम्बा हि0 प्र0।	चम्बा	01896-209477	Pravegali2003@gmail.com
2.	माँ ज्वाला शिक्षा सोसायटी बघोल डाकघर बेरी जसवां, जिला कांगड़ा वीटी पी चम्बा हि0 प्र0।	चम्बा	0899-223747 094181 08108, 086792	maajawalaitcparelchamba@gmail.com
3.	कृष्णा फूडकाफटस औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, वार्ड नं. 3 प्रतापनगर हमीरपुर, हि0प्र0।	हमीरपुर	9418000339	krishnafcc@yahoo.co.in
4.	किरण शिक्षा सोसायटी, बिहरू तहसील बमसन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।	हमीरपुर	94181-79299	
5.	जागृति औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र गांव व डाकघर ऊहल हमीरपुर, हि0प्र0।	हमीरपुर	01792-277444 94184-06073	principaljagritiitc@rediffmail.com
6.	कैरियर पॉइंट व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, समीप एस डी एम कार्यालय भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।	हमीरपुर	01972-265966 98167-05858	mdixit@careerpointgroup.com
7.	(एन एफ सी आई) राष्ट्रीय मच्छुवाही एवं पाक-शास्त्र संस्थान बड़सर, हमीरपुर, हि0प्र0।	हमीरपुर (पंजीकरण संख 10206000)	01972-281281	nfci1instiute@gmail.com
8.	मां ज्वाला आई टी सी मजीण चौक, मड़ोली ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा	कांगड़ा	094188-78659	maajawalaitc@rocketmail
9.	एम आई टी सी ठाकुरद्वारा, राष्ट्रीय उच्च मार्ग मारण्डा, पालमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	कांगड़ा	094180-41622 01970-256490	Sd.himachalpradesh@dget.gov.in
10.	पी सी एस मैमोरियल आई टी सी संसारपंर टैरेस, कांगड़ा एच.पी.6, मॉर्डन आई टी सी, गांव व डाकघर परागपुर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।	कांगड़ा	094180-41622 01970-256490	sd. himachalpradesh@dget.gov.in
11.	रेंसिस आई टी सी फलोर, समीप स्टेट बैंक पाटियाला, नगरोटा बगंवा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।	कांगड़ा	94184-52429 01892-249276	Renssis.iti@gmail.com
12.	शहिद दीवान चन्द कटोच आई टी बैजनाथ, कांगड़ा	कांगड़ा	01894-262647	Naveen_katoch74@yahoo.co.in
13.	मॉर्डन आई टी सी गांव व डाकघर परागपुर, तहसील देहरा, जिला	कांगड़ा	98163-77216	mitcpragpur@rediffmail.com

	कांगड़ा, हि0प्र0।			
14.	श्री कृष्णा बहुप्रयोजनीय सहकारी औघोगिक सोसायटी सीमित, गांव मूहिन, डाकघर गारली, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।	कांगड़ा	98163-72356	bsranadehra@gmail.com
15.	क्रिश्चियन टैक्नों मैडिकल आई टी सी, समीप मुख्यडाकघर, ढालपुर,जिला कुल्लू, हि0प्र0।	कुल्लू	94185-01889 01902-224639	chsdmasih@yahoo.com
16.	एवरैस्ट आई टी सी, गांव सरकोटी, निरमंड, जिला कुल्लू, हि0प्र0।	कुल्लू	98178-12302 01904-255215	Kumarvidesh27@yahoo.com
17.	नैश्नल एसोसिएशन फॉर द ब्लाईंड एच पी, आभा मेमोरियल भवन, सरवरी कुल्लू, हि0 प्र0।	कुल्लू	01902-2255778 01902-224859	nabkullu@gmail.com
18.	हैप्पी यंग आई टी सी नया बाजार बी बी एम बी कलौनी सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।	मण्डी	94184-82045	ravimoudgil@gmail.com
19.	श्री रोशन लाल सेठी, चैरीटेबल एण्ड एजुकेशन ट्रस्ट, एच. एन. 106/1 जवाहर नगर मण्डी पिन-175001	मण्डी	01905-222651	Ashokscthc2006@gmail.com
20.	विश्वजीत आई टी सी सैन्टर धनोटू सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।	मण्डी	94183-87578 01907-207357	bishwajeetitc@gmail.com
21.	कंपोजिट रिजनल सैंटर फॉर परसनस विद डिसएबिलिटीज, वी टी पी नियर महामाया टैंपल सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।	मण्डी	01907-266638 267338	crcsnr@gmail.com crcsnr@yahoomail.com
22.	आदर्श पर्यावरणा संस्था कल्याण समिति चैलचौक, तै0 गोहर, जिला मण्डी, हि0प्र0।	मण्डी	-	Km.sehanwal@gmail.com
23.	एम डी आई टी सी नौहरा धार, वाया राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0प्र0	सिरमौर	94181-47147	mdvtest@rediffmail.com
24.	ज्ञानशक्ति विद्या पीठ, पी वी टी इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट शमशेरपुर, नीयर एस वी ओ पी पांवटा साहब, जिला सिरमौर, हि0प्र0	सिरमौर	98160-14725	gsvitc@gmail.com, gsvpiti@gmail.com
25.	रोट्री परवाणु वोकेशनल एण्ड एण्ड कम्यूनिटी सैंटर, सोसायटी प्लॉट नं. -17, सैक्टर-5, परवाणु, जिला सोलन हि0प्र0।	सोलन	01792-235076	Himalyan-yogi@sify.com
26.	एस डी एस जे आई टी सी, गांव नागली बड़ोग हिल्ज जिला सोलन, हि0 प्र0।	सोलन	88949-81587 01792-227632	Sdsj_society@yahoo.com
27.	वरटैक्स एजुकेशन सोसायटी कोटलानाला राजगढ़ रोड़ सोलन, हि0 प्र0।	सोलन	01792-226005, 226505, 094180-20505	vitcsolan@gmail.com, gmail.com.way2attri@gmail.com
28.	इंडियन इनस्टीटयूट ऑफ स्किल डवैल्पमेंट, प्रोपर्टी नं. 3 सैक्टर -1, अपोजिट ई एस आई हॉसपीटल रोड़ परवाणु जिला सोलन, हि0 प्र0।	सोलन	01792-232684 98184-62401	Rakesh.yadav@iisd.co.in
29.	रविन्द्र नाथ, टैगोर मेमारियल आई टी सी हिम ऑटो बिल्डिंग, कामली रोड़ सैक्टर-1 परवाणु, जिला सोलन, हि0 प्र0।	सेलन	94184-21100	principalitc@gmail.com
30.	नोर्थ स्टार फास्टनर, प्लॉट नं. 9, ईपीआईपी-1 जारमाजरी, बद्दी, जिला सोलन	सोलन	01795-271368	Kanhaar@gmail.com

31.	एन एफ सी आई नेशनल फिनिशिंग एण्ड कुकरी, इन्स्टीच्यूट सोलन जिला सोलन, हि0 प्र0।	सोलन	01795-271368	info@nfcihospitality.com
32.	इन्स्टीच्यूट फॉर सकिल एण्ड एन्टरप्रेनियोरशिप डवैलपमेंट, दाड़लाघाट, तै0 अर्की जिला सोलन हि0 प्र0	सोलन	01796-248366	ised_darlaghat@rediffmail.com
33.	हरिओम प्राईवेट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, बी पी ओ दिग्गल, तै0 नालागढ़, जिला सोलन, हि0प्र0।	सोलन	01795-278505	Hariom_itc@yahoo.in
34.	हिमालयन एजुकेशनल सोसायटी (पंजी0)रोहड़ू जिला शिमला हि0प्र0।	शिमला	94180-42941	Sharmadinesh396@gmail.com
35.	ऑटेक विद्या आई टी सी, सिटी हार्ट होटल ऊना रोड़ अंब जिला ऊना, हि0प्र0।	ऊना	94187-75290 01976-261989	Optech_vcc2007@rediffmail.com
36.	वेकेशनल रिहैबिलिएशन सैंटर फार हैंडीकैप्ड, जिला ऊना, हि0प्र0।	ऊना	01975-2022222	Sd.himachalpradesh@dget.gov.in
37.	संतोषी आई टी सी घुमारवीं, बिलासपुर, हि0प्र0।	बिलासपुर	98167-44340 01978-254425	santoshiITI@ yaho
38.	साफत (पीवीटी) इंडस्ट्रीयल इंस्टीटयूट गांव अवाहर बंगाणा, जिला ऊना, हि0प्र0।	ऊना	01975-206028	saafatiti@yahoo.com
39.	हिमाचल प्रदेश इनफोरमेशन एण्ड टैक्नोलॉजी एजुकेशन सोसायटी वीपीओ अंब, नियर हिम लैब, ऊना, हि0प्र0।	ऊना	1976-243431	bhardwajedu-amb@gmail.com
40.	सिमोना प्राईवेट इन्डस्ट्रीयल ट्रैनिंग इनस्टीटयूट अंब, तै0 दौलतपुर चौक, ऊना, पिन- 177204	ऊना	01976-265010	Simonaiti@yahoo.com
41.	रूटस(प्राईवेट) आई टी आई कदाना-देहत्री, तै0 नूरपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।	कांगड़ा	94180-75246	rootsitikadana@gmail.com
42.	डोगरा (पीवीटी) आई टी आई प्लाट नं. 58, दूसरा फलौर इंडस्ट्रीयल एरिया बिलासपुर, हि0 प्र0।	बिलासपुर	98160-24540	itidogra@gmail.com

4. सरकारी क्षेत्र में अन्य प्रशिक्षण, जैसेः

(1) होटल प्रबन्धन संस्थान (आई. एच. एम. एस.)कुफरी/हमीरपुर

(2) प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर0एस0ई0टी0आई0)।

(3) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित कटाई एवं सिलाई कोर्स ।

(4) स्वास्थय एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग (डिप्लोमा प्रशिक्षण-दन्त स्वास्थ्य विज्ञानी, प्रयोगशाला तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, दृष्टि मापक -विद, शल्य कक्ष तकनीशियन, भेषजविज्ञ/फार्मासिस्ट, उपचर्या धात्री विधा, प्रसूति कक्षीय उपचर्या (ए.एन.एम.) इत्यादि और ये प्रशिक्षण चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग हिमाचल प्रदेश/अन्य राज्यों/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/सम्बद्व हो)।

(5) हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक प्रशिक्षण स्कूल ।

(6) हिमाचल प्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित (बुनाई खडडी पर, सिलाईयों/मशीन से बुनाई, थंका चित्रकला तथा काष्ठ पर उत्केरन, चम्बा रूमाल, कढ़ाई तथा चम्बा एवं कांगड़ा चित्रकला इत्यादि में प्रशिक्षण ।

¼7) हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम ¼हथकरघा खादी, वाहन चालन, वाहन मिस्त्री/ऑटो स्कूटर मुरम्मत, जूते बनाना इलैक्ट्रॉनिक्स, नलसाज, बिजली मिस्त्री/मोटर बांधना, वैल्डिग/स्टील/फैबरीकेशन/लुहारगिरी, बढ़ईगिरी, फोम बनाना, श्रंगार व्यवसायी, बांस का कार्य, नाई, कट़ाई-सिलाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि)।

¼8) राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौघोगिकी संस्थान ¼एन0आई0ई0एल0आई0टी0) तथा उन्नत संगणना विकास केन्द्र ¼सी-डीएसी)।

5. निजी सूचना प्रौधोगिकी संस्थान ¼केवल हिमाचल में ही मान्य)

(i) राष्ट्रीय सूचना प्रौधोगिकी संस्थान ¼एन आई आई टी/NIIT)
(ii) एप्टैक (Aptech)
(iii) जैटकिंग (Jetking)
(iv) ए आई एस ई सी टी (AISECT)
(v) हिन्दूस्तान कंप्यूटरज सीमित ¼एच सी एल/HCL)
(vi) कंप्यूटर अनुरक्षण निगम सीमित ¼सी एम सी एल/CMCL)

6. बद्‌दी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान ¼बी0बी0एन0आई0ए0 द्वारा संचालित)

7. हि0 प्र0 चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग अथवा अन्य राज्यों/केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त/ सम्बंद्ध निजी क्षेत्र के संस्थानों द्वारा संचालित स्वास्थय एवं चिकित्सा शिक्षा में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र ¼जैसे- शिवालिक नर्सिंग संस्थान शिमला, हि0 प्र0, माता पदमांवती शिक्षा सोसायटी नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0, लॉर्ड महावीर जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी संस्थान, नालागढ़, सोलन, हि0प्र0 इत्यादि।

8. अधिसूचना संख्याः श्रम ¼एफ)1-2/2013 दिनांक 13.12.2013 उपायुक्तो की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा सम्मिलित अथवा अनुमोदित अन्य संस्थान/संगठन । इन समितियों को कौशल विकास भत्ता योजना हेतू निजी क्षेत्र के संस्थानों/संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को सूची में सम्मिलित/अनुमोदित करने हेतू प्राधिकृत किया गया है।

उपरोक्त सूची, कौशल विकास भत्ता योजना 2013 के अधीन किस किस प्रकार के प्रशिक्षण दिये जा सकते हैं, के मात्र उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत की गई है । रोजगार विभाग द्वारा किसी भी संस्थान/संगठन को प्राधिकृत नहीं किया गया है कि वह कौशल विकास भत्ता प्रदान किये जाने के प्रयोजन से कोई प्रशिक्षण प्रदान करें। योजना के अनुसार लाभार्थी अपनी पसन्द के प्रशिक्षण का चुनाव कर सकता है। उपरोक्त सूची मात्र उदाहरण स्वरूप है न कि सम्पूर्ण।